भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2537
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बाल अपहरण

2537. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों में महाराष्ट्र के वाशिम-यवतमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ब्यौरे सहित देश में दर्ज किए गए बाल अपहरण के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से बचाए गए/बरामद किए गए अपहृत बच्चों के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल तस्करी के मामलों की संख्या कितनी है तथा उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार बाल अपहरण में संगठित अपराध नेटवर्क की संलिप्तता से अवगत है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) लापता बच्चों का पता लगाने में 'खोया-पाया' पोर्टल की प्रभावकारिता के संबंध में सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है;

(च) बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(छ) बाल कल्याण इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपराध संबंधी आँकड़ों का संकलन करता है तथा उन्हें अपनी वार्षिक प्रकाशन "भारत में अपराध (Crime in India)" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 से संबंधित है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2537, दिनांक 04.08.2026

वर्ष 2020-2024 के दौरान बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामलों, बाल पीड़ितों तथा जीवित बरामद किए गए बाल पीड़ितों का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

एनसीआरबी जिला स्तर पर केवल पंजीकृत मामलों का आँकड़ा संकलित करता है। महाराष्ट्र के वाशीम और यवतमाल जिलों में बच्चों के अपहरण और किडनैपिंग के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2020-2024 के दौरान इस प्रकार है:

जिला	2020	2021	2022	2023	2024
वाशीम	58	59	66	75	62
यवतमाल	118	150	215	115	235

वर्ष 2020-2024 के दौरान मानव तस्करी के मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तस्करी के शिकार एवं बचाव किए गए बाल पीड़ितों का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(घ) से (छ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, बच्चों सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

गुमशुदा बच्चों का पता लगाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, गुमशुदा/मिले बच्चों के लिए 'TrackChild' पोर्टल और गुमशुदा/देखे गए बच्चों के लिए 'खोया-पाया' (Khoya-Paya) एप्लीकेशन को 'मिशन वात्सल्य' पोर्टल और 'क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम' (CCTNS) के साथ जोड़ा गया है, जिससे लापता बच्चों की एफआईआर का TrackChild पोर्टल के डाटाबेस से मिलान कर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा बच्चों का पता लगाने में सहायता मिलती है। इसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि जैसे विभिन्न संबंधित पक्षों के सहयोग और भागीदारी से लागू किया गया है। कोई भी नागरिक खोया-पाया मॉड्यूल के माध्यम से किसी भी लापता अथवा देखे गए बच्चे के संबंध में सूचना दे सकता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2537, दिनांक 04.08.2026

लापता एवं जरूरतमंद बच्चों तक त्वरित सहायता पहुँचाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 का संचालन 24×7 आधार पर किया जा रहा है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112) के साथ एकीकृत किया गया है। रेल यात्रियों की सुविधा हेतु शिकायतें रेल मदद (Rail Madad) पोर्टल अथवा हेल्पलाइन 139 (जो ERSS-112 के साथ एकीकृत है) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं।

रेल मार्ग के माध्यम से मानव तस्करी की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से देशव्यापी अभियान "ऑपरेशन आहट (Operation AAHT)" संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में थाना स्तर पर 750 से अधिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) स्थापित की गई हैं, जो मानव तस्करी की रोकथाम तथा पीड़ितों के बचाव हेतु विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करती हैं। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारतीय रेल द्वारा "नन्हे फरिश्ते" नामक राष्ट्रव्यापी अभियान भी संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें बचाया जाता है। अनेक रेलवे स्टेशनों एवं रेल डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं, जो संवेदनशील बच्चों की पहचान एवं समयबद्ध हस्तक्षेप में सहायक हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में AHTU (एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे जे एक्ट , 2015) राज्य और जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाएँ स्थापित करता है, जिनमें राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, बाल कल्याण समितियाँ (सी डब्लू सी), किशोर न्याय बोर्ड (जे जे बी), जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ और बाल देखभाल संस्थानों (सी सी आई) की स्थापना शामिल है। सीडब्लूसी को सीसीआई के कार्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है और उन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की “मिशन वात्सल्य योजना” के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्थापित सीसीआई ऐसे बच्चों को विभिन्न उपायों के माध्यम से सहयोग प्रदान करते हैं, जिनमें आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श आदि शामिल हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2537, दिनांक 04.08.2026

लापता एवं बरामद बच्चों के मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु पुलिस, बाल कल्याण समितियों तथा किशोर न्याय बोर्डों के लिए "लापता बच्चों के मामलों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रसारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा लापता/अपहृत बच्चों के संबंध में सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर विभिन्न परामर्श जारी किए गए हैं। इनमें सलाह दी गई है कि लापता बच्चे के हर मामले को बहुत ज़रूरी मानते हुए तुरंत FIR दर्ज की जाए, बिना देरी किए खोज और बचाव अभियान शुरू किए जाएं, अलग-अलग एजेंसियों और राज्यों के बीच मज़बूत तालमेल सुनिश्चित किया जाए, बच्चों का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने तथा तस्करी या शोषण को रोकने के लिए जांच पर कड़ी नज़र रखी जाए। ये सभी परामर्श गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2537, दिनांक 04.08.2026

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-2024 के दौरान बच्चों के अपहरण एवं व्यपहरण के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), बाल पीड़ित (सीवीआई सीटी) तथा जीवित बरामद किए गए बाल पीड़ित (सीवीआरए*)

SL	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2020			2021			2022			2023			2024		
		सीआर	सीवीआईसीटी	सीवीआरए	सीआर	सीवीआईसीटी	सीवीआरए	सीआर	सीवीआईसीटी	सीवीआरए*	सीआर	सीवीआईसीटी	सीवीआरए*	सीआर	सीवीआईसीटी	सीवीआरए*
1	आंध्र प्रदेश	487	504	520	487	509	590	519	554	725	413	418	422	264	268	330
2	अरुणाचल प्रदेश	41	48	42	52	52	37	38	44	52	31	32	109	35	54	62
3	असम	2312	2894	2991	2704	2780	1777	1841	2097	2950	1772	1787	5362	999	1025	1164
4	बिहार	3539	3609	2721	3918	3959	4392	5005	5027	6709	6233	6275	6607	2325	2366	4182
5	छत्तीसगढ़	1935	2001	2050	2612	2658	2734	2700	2736	2645	2730	2982	2982	3345	3374	3635
6	गोवा	35	36	30	44	47	44	63	66	61	63	71	73	80	86	79
7	गुजरात	960	984	1007	1210	1241	1215	1511	1554	1429	1506	1547	1442	1013	1038	1212
8	हरियाणा	1488	1498	1435	2050	2239	2207	2574	2628	2576	2922	2982	2893	2725	2805	2527
9	हिमाचल प्रदेश	312	320	311	393	403	413	379	406	396	397	408	391	361	376	368
10	झारखण्ड	505	510	531	583	590	494	650	652	633	534	534	728	100	102	285
11	कर्नाटक	1936	1999	2029	2546	2637	2763	3035	3139	2741	3254	3318	3564	3636	3731	4001
12	केरल	200	203	195	259	263	256	286	292	282	193	201	240	115	118	114
13	मध्य प्रदेश	7058	7336	7218	9137	9581	9754	10125	10253	10138	11521	11590	10796	11594	11669	11652
14	महाराष्ट्र	7392	7532	8406	9555	9848	9869	11571	11859	10882	12252	13150	13634	12950	13277	13433
15	मणिपुर	35	35	35	36	37	45	49	51	19	21	21	13	12	15	19
16	मेघालय	50	51	48	63	64	42	89	89	41	65	66	111	81	84	77
17	मिजोरम	3	3	2	2	2	2	5	6	6	3	3	1	0	0	0
18	नागालैंड	5	5	12	10	11	11	3	3	5	1	1	1	2	2	6
19	ओडिशा	3915	3915	3743	5187	5192	5076	5606	5627	6042	5978	5979	3179	6814	6815	8836
20	पंजाब	1032	1080	828	1440	1450	1230	1338	1358	1032	1334	1366	1287	77	85	1382
21	राजस्थान	2769	2835	2745	3593	3623	3617	4539	4607	4515	5738	5764	5483	5414	5486	5826
22	सिक्किम	31	35	13	38	45	22	45	60	55	35	45	45	33	40	19
23	तमिलनाडु	252	267	263	259	274	309	240	244	269	175	175	185	56	64	67
24	तेलंगाना	1258	1275	1150	1748	1785	1665	1821	1883	1980	1969	2011	1829	2334	2388	2334
25	त्रिपुरा	99	99	117	106	106	104	86	86	83	110	114	109	31	33	42
26	उत्तर प्रदेश	5513	5520	5093	6814	6869	6991	7707	7901	7871	8025	8160	13152	8350	8551	7815
27	उत्तराखंड	365	365	117	239	241	88	579	579	790	659	694	1015	624	632	428
28	पश्चिम बंगाल	7079	7323	6425	6394	6421	6342	5761	5876	5908	5742	5997	5893	5661	5773	6308
	कुल राज्य	**50606**	**52282**	**50077**	**61479**	**62927**	**62089**	**68165**	**69677**	**70835**	**73676**	**75691**	**81546**	**69031**	**70257**	**76203**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6	6	6	6	7	9	14	14	12	22	22	19	17	20	20
30	चंडीगढ़	112	119	116	149	153	113	139	143	148	157	163	148	178	178	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	19	19	24	46	46	47	48	48	41	47	47	53	44	44	42
32	दिल्ली	3748	3862	3959	5053	5353	4924	5378	5624	5165	5471	5655	5260	5404	5606	8732
33	जम्मू और कश्मीर	293	302	286	478	493	426	513	534	542	486	502	481	412	423	408
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	5	5	3	4	5	7	3	3	3
35	लक्षद्वीप	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	34	35	0	22	24	0	21	21	49	19	19	65
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**4179**	**4309**	**4392**	**5766**	**6087**	**5519**	**6119**	**6392**	**5911**	**6208**	**6415**	**6017**	**6077**	**6293**	**9270**
	कुल (अखिल भारतीय)	**54785**	**56591**	**54469**	**67245**	**69014**	**67608**	**74284**	**76069**	**76746**	**79884**	**82106**	**87563**	**75108**	**76550**	**85473**

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: * इन आंकड़ों में पिछले वर्षों में अगवा किए गए और बाद में बरामद किए गए बच्चे भी शामिल हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2537, दिनांक 04.08.2026
अनुलग्नक-II

वर्ष 2020-2024 के दौरान मानव तस्करी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तस्करी किए गए एवं बचाए गए (18 वर्ष से कम आयु के) बाल पीड़ितों का विवरण।

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तस्करी किए गए					बचाए गए				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	23	58	14	17	23	8	11	14	19	27
2	अरुणाचल प्रदेश	13	3	1	19	55	13	3	1	17	28
3	असम	84	215	123	106	96	67	188	156	94	96
4	बिहार	123	311	613	353	547	123	311	613	353	547
5	छत्तीसगढ़	35	43	26	21	22	39	43	26	21	21
6	गोवा	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
7	गुजरात	65	5	6	20	8	65	5	6	20	8
8	हरियाणा	7	21	13	8	2	7	21	11	8	2
9	हिमाचल प्रदेश	2	4	0	0	1	2	4	0	0	1
10	झारखण्ड	114	146	129	132	223	77	145	113	71	208
11	कर्नाटक	2	5	7	4	13	1	5	7	3	13
12	केरल	184	219	140	104	59	179	169	128	91	51
13	मध्य प्रदेश	79	87	91	56	103	75	87	89	56	104
14	महाराष्ट्र	49	52	56	139	78	65	62	56	139	78
15	मणिपुर	4	4	0	3	0	4	4	0	3	1
16	मेघालय	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	159	497	353	348	245	159	399	564	342	242
20	पंजाब	65	11	12	33	10	61	8	9	31	40
21	राजस्थान	815	417	453	358	290	815	417	453	358	290
22	सिक्किम	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	24	16	3	0	4	23	38	3	0	4
24	तेलंगाना	32	222	63	35	49	31	222	63	35	49
25	त्रिपुरा	2	0	0	12	11	2	0	0	12	23
26	उत्तर प्रदेश	61	40	73	66	98	58	40	73	64	85
27	उत्तराखंड	9	9	7	41	8	8	9	7	41	8
28	पश्चिम बंगाल	53	50	78	50	56	56	58	91	40	54
	कुल राज्य	2008	2436	2261	1926	2002	1942	2250	2483	1819	1981
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	3	2	0	0	0	3	2	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
32	दिल्ली	202	437	605	749	282	202	437	605	749	282
33	जम्मू और कश्मीर	2	2	10	10	8	2	2	10	10	8
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	5	0	2	2	5	0	0	0	2	5
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	214	441	617	761	295	209	441	615	761	295
	कुल (अखिल भारतीय)	2222	2877	2878	2687	2297	2151	2691	3098	2580	2276

नोट: मानव तस्करी से जुड़ा प्रकाशित डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 'एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स' से मिले सालाना डेटा पर आधारित है।
*बचाए गए पीड़ितों में पिछले साल के मामलों या दूसरे राज्यों में दर्ज मामलों के पीड़ित भी शामिल हैं।
